अनुदान संख्या 41 - भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
GRANT No. 41–INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*31,64,00*	*35,04,00*	*34,26,77*	*–77,23*
पूरक	*Supplementary*	*3,40,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*10,00*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1058,54,00	1141,85,00	1083,18,87	–58,66,13
पूरक	Supplementary	83,31,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				56,56,74
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	11,00,00	13,96,00	8,90,66	–5,05,34
पूरक	Supplementary	2,96,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,71,70

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें *(77.23 लाख रु.)* मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए *340.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* का 23 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 2 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings *(Rs.77.23 lakhs)* constituted 23 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.340.00 lakhs* obtained in March, 2005 and 2 percent of the total sanctioned *appropriation.*

Saving occurred under the following major head:-

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2016" लेखा परीक्षा	Major Head "2016" Audit				
मू.	*O.*	*3164.00*			
पू.	*S.*	*340.00*	*3494.00*	*3426.77*	*-67.23*
पु.	*R.*	*–10.00*			

(I) *"भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (प्रभारित) - मुख्यालय कार्यालय"* के अंतर्गत *2867.00 लाख रु.* के मूल *विनियोग* को *151.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *3018.00 लाख रु.* कर दिया गया जो, यद्यपि, शीर्ष "कार्यालय खर्च" तथा "लघु कार्य" के अंतर्गत अनुमान से कम खर्च किए जाने के कारण *76.11* लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "*Comptroller and Auditor General of India (Charged) - Headquarters Office*" - the original *appropriation* of *Rs.2867.00 lakhs* was augmented to *Rs.3018.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.151.00 lakhs,* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.76.11 lakhs* - due to less expenditure under the head "Office Expenses" and "Minor Works" than estimated.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (5866.13 लाख रु.) मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 8331.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 70 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.5866.13 lakhs) constituted 70 percent of the supplementary grant of Rs.8331.00 lakhs obtained in March, 2005 and 5 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Savings/excess occurred under the following major head:-

मुख्य शीर्ष "2016" लेखा परीक्षा	Major Head "2016" Audit				
मू.	O.	105854.00			
पू.	S.	8331.00	108528.26	108318.87	–209.39
पु.	R.	–5656.74			

(I) पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार अप्रयुक्त रहा :-

(I) Supplementary grant remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "सिविल लेखा परीक्षा और लेखा कार्यालय" -

(A) "Civil Audit and Accounts Offices" -

(क) ''सिविल लेखा परीक्षा कार्यालय'' - 49309.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3714.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 53023.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 2889.15 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ख) ''सिविल लेखा कार्यालय'' - 40513.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3917.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ा कर 44430.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो 3019.47 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपयुक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें, वेतनों, लेखापरीक्षा दलों के दौरों पर कम व्यय होने, नवगठित महालेखाकार कार्यालयों में कर्मचारियों का स्थानांतरण किए जाने, कार्यालय भवनों के किराए को अंतिम रूप न दिए जाने और कुछ कार्यालयों को नए भवनों में अंतरित किए जाने के कारण हुईं।

(खा) ''रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय'' - 2134.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 192.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2326.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो वेतनों पर कम व्यय किए जाने के कारण 165.15 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) ''समुद्रपार लेखा परीक्षा कार्यालय'' - 822.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 57.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 879.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो वेतनों पर कम व्यय किए जाने, भवनों के किराए को अंतिम रूप न दिए जाने, रुपए के मूल्य में वृद्धि होने की वजह से विदेश यात्रा खर्चों के अंतर्गत निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण 20.62 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

3. उपर्युक्त बचतें ''वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालयों'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 190.57 लाख रु. का अधिक व्यय (232.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 4102.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बोनस, छुट्टी यात्रा रियायत और परिवहन भत्ते आदि के अंतर्गत अधिक मांग होने, अधिक दौरा आयोजित किए जाने और होटल प्रशुल्क, बिजली प्रशुल्क, जल प्रभारों में वृद्धि होने और साथ ही माड्यूलर फर्नीचर की खरीद किए जाने और कंप्यूटर

(a) “Civil Audit Offices” - the original provision of Rs.49309.00 lakhs was augmented to Rs.53023.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3714.00 lakhs, which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2889.15 lakhs; and

(b) “Civil Accounts Offices” - the original provision of Rs.40513.00 lakhs was augmented to Rs.44430.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3917.00 lakhs, which, however, remained unutilised to the extent of Rs.3019.47 lakhs.

Savings under the above two heads was due to less expenditure on salaries, tours of audit parties, transfer of staff to newly created Accountant General offices, non-finalisation of rent of office buildings and shifting of some offices to new buildings.

(B) “Defence Audit Offices” - the original provision of Rs.2134.00 lakhs was augmented to Rs.2326.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.192.00 lakhs, which, however, remained unutilised to the extent of Rs.165.15 lakhs - due to less expenditure on salaries.

(C) “Overseas Audit Offices” - the original provision of Rs.822.00 lakhs was augmented to Rs.879.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.57.00 lakhs, which, however, remained unutilised to the extent of Rs.20.62 lakhs - due to less expenditure on salaries, non-finalisation of rent of the buildings and less requirement of funds under foreign travel expenses owing to increase in the value of rupee.

3. The above savings were partly offset by excess under “Commercial Audit Offices” - excess of Rs.190.57 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4102.00 lakhs including supplementary grant of Rs.232.00 lakhs) was due to more demand under bonus, leave travel concession and traveling allowance etc., more tour programmes and due to an increase in hotel tariff, electricity tariff, water charges and also due to purchase of modular furniture and expenditure on

एवं फोटोकापीयर मशीनों के वार्षिक रख-रखाव संविदा पर व्यय किए जाने के कारण हुआ।

Annual Maintenance Contract of Computer and photocopier machines etc.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (505.34 लाख रु.) मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 296.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत थीं।

4. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.505.34 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.296.00 lakhs obtained in March, 2005 and constituted 36 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	450.00			
पू.	S.	196.00	274.95	189.47	–85.48
पु.	R.	–371.05			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	650.00			
पू.	S.	100.00	649.35	701.19	+51.84
पु.	R.	–100.65			

(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान पूर्णतया/प्रत्येक के सामने दर्शाइ गई सीमा के अनुसार अप्रयुक्त रहा :-

(I) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised wholly/ to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय-तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" - 450.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 196.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 646.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 456.53 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) गुवाहाटी में कुछ

(A) Major Head "4059" - "Office Buildings – Other Expenditure – Acquisition of ready built Accommodation" - the original provision of Rs.450.00 lakhs was augmented to Rs.646.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.196.00 lakhs. However, there was a saving of

भूस्वामियों से प्रतिपूर्ति के लिए दावों की प्राप्ति न किए जाने और चंडीगढ़ में टाइप VI क्वार्टरों और गेस्ट हाउस के लिए भूमि की खरीद को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण भी हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास स्कीमें - तैयार निर्मित फ्लटों का अधिग्रहण'' - 650.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ा कर 750.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो मुंबई में रिहायशी परिसर के निर्माण को पूरा न किए जाने के कारण 48.81 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

Rs.456.53 lakhs (including supplementary grant) due to non-receipt of the claims for compensation from some land owners at Guwahati and also due to non-materialisation of purchase of land for type VI Quarters and Guest House at Chandigarh.

(B) Major Head “4216” – “Government Residential Buildings - Housing Schemes for employees of IA & AD - Acquisition of ready built flats” - the original provision of Rs.650.00 lakhs was augmented to Rs.750.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs, which, however, remained unutilised to the extent of Rs.48.81 lakhs - due to non-completion of construction of residential complex at Mumbai.